न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 76 / 2020

उनवान

मांगीबाई पुत्री नूरा

अप्रार्थी / वादी

बनाम

नूरा पुत्र अमीरा वगै0

प्रार्थी / प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0

उपस्थितिः—

प्रार्थी / प्रतिवादी :—विद्वान अभिभाषक श्री महावीर नागर

अप्रार्थी / वादी :—विद्वान अभिभाषक श्री मुकेश कुमार यादव

निर्णय दिनांक 28 / 12 / 2022

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थीगण एवं अभिभाषक अप्रार्थी उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी / प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 एवं सहपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का इस आश्य का पेश किया है कि उक्त शीर्षक का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें आज तारीख पेशी नियत है। वादिया / अप्रार्थीया के द्वारा माननीय न्यायालय में पेश किये गये वाद पत्र में आराजी खाता संख्या 305 की ख0नं0 565 का रकबा 0.20 है0, ख0नं0 566 का रकबा 0.96 है0, ख0नं0 585 / 2443 का रकबा 1.23 है0, ख0नं0 885 का रकबा 3.59 है0 कुल किता 4 का रकबा 5.98 है0 आराजी प्रार्थी क्रम 1 नूरा उर्फ नूरा मोहम्मद की स्व अर्जित संपत्ति है। जिसमें वादिया मांगी बाई का कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता है। मुस्लिम विधि के अनुसार खातेदार ही सम्पूर्ण आराजी (संपत्ति) का एक मात्र मालिक होता है। चाहे वह संपत्ति उसने अपने जीवन काल में प्राप्त की हो या फिर पूर्वजों से प्राप्त की हो दोनों ही स्थिति में खातेदार की सम्पूर्ण अचल व चल संपत्ति (आराजी) का एक मात्र मालिक होता है व उसके जीवनकाल में कोई भी वारिसान उसकी संपत्ति (आराजी) में हिस्सा नहीं मांग सकता। मुस्लिम विधि में उत्तराधिकारी का नियम लागू नहीं होता है । इसलिए

प्रार्थी क्रम 1 नूरा उर्फ नूर मोहम्मद की संपत्ति (आराजी) में उसके जीवनकाल तक अप्रार्थिया / वादिया किसी भी प्रकार के बंटवारे की मांग नहीं कर सकती है। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि अप्रार्थीया/वादिया का वाद मुस्लिम विधि के अनुसार चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

2. अप्रार्थी/वादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 एवं सहपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 2 अस्वीकार है। नूरा उर्फ नूर मोहम्मद की कृषि आराजियात पर वादनी मांगीबाई का जन्म से अधिकार है। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 3 पूर्णतया अस्वीकार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एक विशेष अधिनियम है, जो राजस्थान के काश्तकारों पर लागू होता है तथा राजस्व संबंधित सभी विवादों का निस्तारण इस विशेष अधिनियम के माध्यम से निस्तारण होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर सामान्य विधि के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। मुस्लिम उत्तराधिकार विधि एक सामान्य विधि है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर लागू नहीं होती है। वादनी एक गरीब कृषक महिला है। प्रार्थना प्रतिवादीगण अस्वीकार है।

विशेष कथन

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्थान में काश्तकारी विवादों के समाधान के लिए एक विशेष अधिनियम राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है। वर्तमान में भारत देश समान नागरिक संहिता की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है एवं समस्त नागरिकों पर एक समान कानून लागू करने का प्रावधान बनाने की ओर केंद्र सरकार अग्रसर हो रही है। आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० के प्रावधान उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर किसी भी स्थिति में लागू नहीं होते हैं, जो कारण आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० में बतलाए गए हैं, वैसे तथ्य प्रार्थना पत्र में प्रतिवादीगण द्वारा अंकित नहीं किए गए हैं। किसी को अधिकार मिलना या न मिलना एक साक्ष्य का प्रश्न है। प्रार्थीया वाद पत्र में अपनी साक्ष्य द्वारा यह साबित करेगी कि क्या उसे अपने पिता के रहते हुए उनके जीवनकाल में उनकी कृषि आराजियात में से हिस्सा उसे मिल सकता है या नहीं। प्रतिवादी को चाहिए कि वह नियमित रूप से अपना जवाबदावा न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत करे तथा इस संबंध में जो भी आपत्ति हो, वह प्रस्तुत करें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अपने पिता से उनके जीवनकाल में उनकी कृषि आराजी में अपना हिस्सा लेने के संबंध में वाद

प्रस्तुत कर सकता है। इस संबंध में राजस्व मंडल अजमेर ने भी नियम बना रखे हैं। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाए जाने की कृपा करें।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 ने दोराने बहस कथन किया कि ग्राम मोठपुर की आराजी खाता संख्या 305 की कुल किता 4 का रकबा 5.98 है0 आराजी प्रार्थी/प्रतिवादी क्रम 1 नूरा उर्फ नूरा मोहम्मद की स्व अर्जित संपत्ति है जिसमें वादिया/अप्रार्थी मांगी बाई का कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता है। मुस्लिम विधि के अनुसार मुस्लिम खातेदार ही उसकी सम्पूर्ण आराजी (संपत्ति) का एक मात्र मालिक होता है चाहे वह संपत्ति उसने अपने जीवन काल में प्राप्त की हो या फिर पूर्वजों से प्राप्त की हो। मुस्लिम विधि में पैत्रिक संपत्ति एवं स्वअर्जित संपत्ति में कोई भैद नहीं किया गया है, दोनों को स्वअर्जित संपत्ति ही माना गया है । एक मुस्लिम को प्राप्त सभी संपत्ति चाहे वह उसके स्वयं के द्वारा अर्जित की गई हो या दाय में प्राप्त की गई हो, उसकी व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाती है। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा आगे तर्क किया कि मुस्लिम विधि में किसी खातेदार की संपत्ति में उसके कानूनी वारीसान उसके जीवनकाल में कोई हक या अधिकार नहीं मांग सकता है। मुस्लिम विधि में हिन्दू उत्तराधिकार का नियम लागू नहीं होता है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा पुनः तर्क किया गया कि प्रार्थी क्रम 1 नूरा विवादित आराजी का खातेदार कृषक है जिसमें अप्रार्थीया उनके जीवनकाल में कोई हक व हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकती है। अतः प्रार्थीगण के विरूद्ध वाद लाने का कोई वाद– हेतुक उत्पन्न नहीं होता है और अप्रार्थी का मुस्लिम विधि द्वारा वर्जित होने से अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (क) व (ड) सीपीसी के तहत स्वीकार किये जाने योग्य है।

4. अभिभाषक प्रार्थीगण 1 ता 4 द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत व कानूनी प्रावधान पेश किये–

- शानू व अन्य बनाम सुल्तान खान उर्फ जम्मू व अन्य 2018 (2) सी. जे0(सीआईवी0) राज 1991
- मुस्लिम शरियत विधि– अध्याय 9– उत्तराधिकार एवं प्रशासन विधि

5. अभिभाषक अप्रार्थीया द्वारा बहस के दौरान तर्क किया कि विवादित आराजी अप्रार्थी/वादनी के पिता प्रार्थी/प्रतिवादी क्रम 1 को विरासत में प्राप्त हुई थी। अतः अप्रार्थीया का अपने पिता नूरा की उक्त संपत्ति में जन्म से हक व अधिकार निहित है। अभिभाषक अप्रार्थिया द्वारा आगे तर्क किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एक विशेष अधिनियम है, जो राजस्थान के काश्तकारों पर लागू होता है तथा राजस्व संबंधित सभी विवादों का निस्तारण इस विशेष अधिनियम के माध्यम से निस्तारण होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर सामान्य विधि के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। मुस्लिम उत्तराधिकार विधि एक सामान्य विधि है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर लागू नहीं होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज फरमाया जावे।

6. अभिभाषक प्रार्थीगण एवं अभिभाषक अप्रार्थीया की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर बहस सुनी। बहस के परिपेक्ष्य में पेश दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थिया मुस्लिम है और इसलिए उत्तराधिकारीयों के हक व अधिकार का निर्धारण मुस्लिम (शरियत) विधि 1937 के अनुसार किया जायेगा। उत्तराधिकार एवं प्रशासन की मुस्लिम विधि अनुसार एक मुस्लिम की संपत्ति में उसके वंशजों या नातेदारों को जन्म लेने मात्र से कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है अर्थात किसी मुस्लिम पिता की संपत्ति में उसके पुत्र एवं पुत्रियों का जन्म से कोई हक व अधिकार नहीं होता है। हिन्दू विधि के विपरीत मुस्लिम विधि के अन्तर्गत पैतृक एवं स्वअर्जित संपत्ति के बीच कोई प्रभेद नहीं किया जाता है। एक मुस्लिम को प्राप्त सभी संपत्ति चाहे वह उसके स्वयं के द्वारा अर्जित की गई हो या दाय में प्राप्त हुई हो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाती है। मुस्लिम विधि अनुसार उत्तराधिकार का प्रश्न किसी मुस्लिम की मृत्यु के उपरान्त की उत्पन्न होता है। जब कोई मुस्लिम व्यक्ति मरता है तो उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में न्यायगत हो जाती है। किसी मुस्लिम के जीवनकाल में उसके उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकार का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। प्रथम बार विरासत व्यक्ति की मृत्यु पर खुलता है। उसकी मृत्यु के पहले कोई भी व्यक्ति उत्तराधिकारी होने के आधार पर किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि मुस्लिम विधि कहती है कि जन्म से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

7. न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र को अभिनिर्धारित करने से पूर्व आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के दायरे और इसके अन्तर्गत न्यायालय की अधिकारिता को समझने के लिऐ उक्त आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का अवलोकन करना उचित है जो निम्न प्रकार है–

> 11- Rejection of plaint:- The plaint shall be rejected in the following cases :- (a) where it does not disclose a cause of action,
>
> (b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so,
>
> (c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is returned upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the court, fails to do so,
>
> (d) where the suit appears from the statements in the plaint to be barred by any law,
>
> (e) where it is filed in duplicate,
>
> (f) where the plaintiff fails to comply with the provisions of rule 9.

8. उपरोक्तानुसार आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों का सारांश है कि न्यायालय द्वारा वाद खारिज कर दिया जावेगा यदि 'क' वाद हेतु की प्रकट नहीं किया गया हो, 'ख' अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया हो, 'ग' वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया हो, 'घ' वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो एवं 'ड' डुप्लीकेट में प्रस्तुत नहीं किया हो। अतः उक्त प्रकरण के प्रयोजना हेतु उक्त आदेश 7 नियम 11 के उपनियम 'क' व 'घ' शब्दावली पर ध्यान देना आवश्यक है। **उपनियम 'क' की शब्दावली**– '' Where it does not disclose a cause of action'' का आशय यह है कि आदेश 7 नियम 11 'क' के अन्तर्गत वाद खारिज करते समय यह देखना आज्ञापरक है कि दावा/वादपत्र कारण रहित तो नहीं है अर्थात वाद हेतुक उत्पन्न हो रहा है या

नहीं। वादी ने न्यायालय में ऐसा वाद तो दायर नहीं कर दिया जिसका कोई वाद–हेतुक ही प्रकट नहीं होता हो। वाद हेतुक के अभाव में वाद पत्र को नामंजूर किया जा सकता है ताकि न्यायालय बेमतलब के मुकदमों से खुद को बचा सके और अपने कीमती समय को बेवजह नष्ट होने से रोक सकें। अदालत ऐसे पक्षकारों को राहत देने के लिए बाध्य नहीं है, जिनके पास सत्य के लिए कोई सम्मान नहीं है और जो झूठ का सहारा लेकर या गलत तथ्यों को पेश कर न्याय की धारा को दूषित करने की कोशिश करते है।

9. ग्राम मोठपुर के वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार वाद पत्र के मद क्रम 1 में वर्णित आराजी ख0नं0 565 का रकबा 0.20 है0, ख0नं0 566 का रकबा 0.96 है0, ख0नं0 585/2443 का रकबा 1.23 है0, ख0नं0 885 का रकबा 3.59 है0 कुल किता 4 का रकबा 5.98 है0 प्रार्थी/प्रतिवादी क्रम 1 नूरा वल्द अमीरा जाति पिंजारा मुसलमान के खाते दर्ज है। भू प्रबंध विभाग की जमाबन्दी दिनांक 01 जुलाई 1989 से 1 जून 2009 के अनुसार भी उक्त विवादित आराजी प्रार्थी/प्रतिवादी क्रम 1 नूरा वल्द अमीरा जाति पिंजारा मुसलमान के खाते दर्ज है। ग्राम मोठपुर की जमाबंदी संवत 2011 से 2014 के अनुसार भी विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 नूरा नाबालिग बेटा अमीरा जाति मुसलमान के खाते दर्ज रिकार्ड थी। प्रथम दृष्टया विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 नूरा को विरासत में प्राप्त हुई है। यह स्पष्ट है कि मुस्लिम विधि में पैतृक एवं स्वअर्जिज दोनों प्रकार की संपत्तियों को व्यक्तिगत संपत्ति माना गया है और किसी भी संपत्ति में किसी मुस्लिम के जीवनकाल में उसके वारिशानों को जन्म से कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने शानू व अन्य बनाम सुल्तान खान उर्फ जम्मू व अन्य 2018 (2) CJ(Civ.)(Raj) 991 में अभिनिर्धारित किया है कि–

''अंश का दावा –जब तक पिता जिवित है, बच्चे संपत्ति में कोई भी अधिकार ग्रहण नहीं करते है।''

'' दादा की संपत्ति में से अंश का दावा, विशिष्टतया जब पिता जिवित हो–मुस्लिम विधी के अनुसार वादीगणों को संपत्ति में वारिशी का कोई भी अधिकार नहीं है क्योंकि मुस्लिम विधि में संयुक्त परिवार की अवधारणा विदेशी है।''

अब्दुल सुभान (सुप्रा) के मामले मे कर्नाटक उच्च न्यायालय की डिविजन बैंच ने माना है कि मुस्लिम कानून के तहत किसी भी व्यक्ति का जन्म से अधिकार नहीं है। यह ज्ञात

है कि मुसलमानों के बीच संयुक्त परिवार जैसी कोई चीज नहीं है। जब तक पिता जीवित है, बच्चों का संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। पिता की मृत्यु पर ही उस समय रहने वाले बच्चों को अधिकार प्राप्त होता है। हांलाकि, अगर कोई बेटा पिता से पहले मर जाता है तो बेटे के मुद्दे मृत बेटे के पिता के लिए सफल नहीं होगें। मुसलमानों को शासित करने वाले इस कानून के लिए प्रतिनिधि का सिद्धान्त पूरी तरह से अज्ञात है। उत्तराधिकार का अधिकार संपत्ति के मालिक की मृत्यु पर उत्पन्न होता है और उत्तराधिकार के हस्तांतरण का प्रश्न पूरी तरह उस समय तय होता है जब वारिस का दावा करने वाले व्यक्ति, संपत्ति के मालिक की मृत्यु हो जाती है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा वादपत्र के अवलोकन के आधार पर यह साबित होता है कि अप्रार्थिया/वादिया का वाद मुस्लिम विधि के विरूद्ध होने से विधि वर्जित है और न ही कोई वाद–हेतुक उत्पन्न होता है। अतः प्रकरण आदेश 7 नियम 11(क) व (ड) सीपीसी के अधीन खारिज किये जाने योग्य है। अतः ऐसे प्रकरण को साक्ष्य और गवाह लिए बिना ही इस स्तर पर भी खारिज किया जाना न्यायोचित होगा।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी0 **स्वीकार** किया जाकर वादीया/अप्रार्थीया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 53, 188 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां